कार्यालय सहायक अभियन्ता चतुर्थ
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–01/स0अ0-IV/2019–20

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाईन https://etender.up.nic.in के माध्यम से निविदा वर्गीकृत श्रेणी में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 15.06.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे सहायक अभियन्ता चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ के कार्यालय में निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष आनलाईन खोली जायेगी। बिड दिनांक 11.06.2019 से दिनांक 15.06.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी।

लाट सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 में	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मंगई ड्रेन के कि0मी0 206.600 से कि0मी0 205.600 के बीच बर्म/ठेक हटाने का कार्य	1.60	0.16	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी
2	मंगई ड्रेन के कि0मी0 205.300 से कि0मी0 204.200 के बीच बर्म/ठेक हटाने का कार्य	1.61	0.16	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी
3	मंगई ड्रेन के कि0मी0 203.700 से कि0मी0 202.500 के बीच बर्म/ठेक हटाने का कार्य	1.56	0.16	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी
4	मंगई ड्रेन के कि0मी0 202.000 से कि0मी0 201.000 के बीच बर्म/ठेक हटाने का कार्य	1.47	0.15	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी
5	मंगई ड्रेन के कि0मी0 200.300 से कि0मी0 199.200 के बीच बर्म/ठेक हटाने का कार्य	1.55	0.16	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी
6	गांगी ड्रेन के कि0मी0 69.750 से कि0मी0 69.300 तक तली सुधार में मिट्टी का कार्य	1.89	0.19	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी
7	गांगी ड्रेन के कि0मी0 68.700 से कि0मी0 68.300 तक तली सुधार में मिट्टी का कार्य	1.78	0.18	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी
8	लसड़ा स्केप के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 1.500 तक आन्तरिक सेक्शन सुधार में मिट्टी का कार्य	1.82	0.19	7 दिन	225+18% GST	D एवं उच्च श्रेणी

प्रत्येक निविदादाता को:–

1–यह निविदा बिड सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट https://etender.up.nic.in सूचना विभाग की वेबसाइट (http://information.up.nic.in) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (http://irrigation.up.nic.in) पर उपलब्ध है।

2–यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत, चरित्र प्रमाण पत्र IDT-1, हैसियत प्रमाण पत्र IDT-2, स्वघोषणा पत्र IDT-3 एवं समस्त अभिलेखों की स्कैण्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में वे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता चतुर्थ के कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।

3–उक्त कार्य का सम्पादन विभागीय विशिष्टियों तथा नवीनतम शासनादेश संख्या–99/2017/836/17–27–सिं0–4–46 (डब्लू)/12 दिनांक 12.05.2017 के अनुरूप किया जायेगा।

4–कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति के है तथा वर्षा ऋतु के पूर्व कराया जाना अनिवार्य है। विलम्ब होने की दशा में अथवा राजकीय कार्य में बाधा उपलब्ध होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती तथा पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

5–निविदा दाता को टेन्डर सेल की धनराशि स्टेशनरी सहित डिमाण्ड ड्राफ्ट **"अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़"** के नाम/पक्ष में बन्धक तथा **"आजमगढ़"** में देय होगा, जिसकी स्कैण्ड कापी अपलोड करनी होगी। अन्यथा निविदा/विड को Nonresponsive मानते हुए विचार नहीं किया जायेगा।

स0अ0/IV

6–धरोहर धनराशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ के नाम/पक्ष में बन्धक तथा आजमगढ़ में देय होना अनिवार्य है, जिसकी स्कैण्ड कापी आनलाइन अपलोड कराना होगा।

7–प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ रू0 100.00 रूपये का नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 1.00 रूपये की रसीदी टिकट लगाकर लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। जिसकी स्कैण्ड कापी आनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी व प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबन्ध के समय स्टैम्प ड्यूटी जमा करना होगा।

8–कार्यस्थल के आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी व बढायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

9–निविदादाता को उपरोक्तानुसार **कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी** निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी।

10–निविदादाता/विडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने अथवा बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11–कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

12–राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध /पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

13–कोई भी निविदा दाता निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदा दाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

14–यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदा दाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

15–शासनादेश सं0–522/23–12–2012–2 आडिट/08, टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों को प्रति 1% से 10% तक दर कम होने पर, 0.50% प्रति 1% कमी पर तथा 10% से अधिक दरों मे कमी पर, प्रति 1% की कमी पर 1% अतिरिक्त परफारमेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।

16–निविदा दाता द्वारा स्थायी लेखा संख्या (PAN) एवं व्यापारी पहचान संख्या (TIN) दिया जाना आवश्यक है।

17–सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

18–नियमानुसार लेबरसेस कटौती ठेकेदारों के बीजक से की जायेगी।

19–शासनादेश संख्या–383/36–2–2010 श्रम अनुभाग–2, दिनांक 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली–2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।

20–इस निविदा को निरस्त करने का अधिकार विना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

21–प्रत्येक निविदा दाता को अभिलेख की मूल प्रति दिनांक 15.06.2019 को दोहपर 12 बजे तक सहायक अभियन्ता चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा स्कैण्ड कापी अपलोड/डाउनलोड करना होगा।

(क) वैघ पंजीयन की मूल प्रति।

(ख) समान या उच्च लागत के कार्यों का एकल अनुबन्ध जो कि अनुवन्ध में निर्धारित समय/अवधि में पूर्ण किया गया हो, का मूल अनुभव प्रमाण पत्र।

(ग) IDT-1, IDT-2, IDT-3 (स्व घोषणा पत्र) प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।

(घ) निविदा मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में।

(ड) धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में।

विशेष शर्ते–

1–निकाली गयी सिल्ट/मिट्टी का Engineer-in-charge के निर्देशानुसार उचित डिस्पोजल/ड्रेसिंग करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में तदनुसार दरों में कटौती कर दी जायेगी, जिस हेतु ठेकेदार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

2–अनुबन्ध का गठन उपलब्ध बजट आवंटन के आधार पर किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता चतुर्थ
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़